उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–1(37)/2007
देहरादून : दिनांक 17 जुलाई 2018

कार्यालय–ज्ञाप

मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 11–07–2018 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या– 235 /बीस–4/2018–1(37)/2007, दिनांक 17 .07.2018 के द्वारा 'उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018' प्रख्यापित की गयी है।

यह नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1188 /XX–4/2018–1(37)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित कराकर इसकी 150–150 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

19/7/18

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्याः 235/XX–4/2018–1(37)/2007
देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–8(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ; अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1) शैक्षिक अर्हताएं– विद्यालय शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से हाई–स्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।	8(1) शैक्षिक अर्हताएं– विद्यालय शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो।

नियम–10 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 आयु– सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उसके कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 18 वर्ष	10 आयु– सीधी भर्ती के लिए किसी महिला अभ्यर्थी की आयु, उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, महिला अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम–14 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–14(2)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (2) (क)– लिखित परीक्षा 100 अंको, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के विषय की होगी, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे,	14 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (2) (क)– शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम 100 अंकों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में प्रतिभाग किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे, जिसमे से 50 अंक सामान्य अध्ययन के प्रश्नों हेतु तथा 50 अंक सामान्य तर्क शक्ति के प्रश्नों हेतु निर्धारित होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

नियम–15 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–15(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15(3). लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थिनियों का शारीरिक परीक्षण उक्त उप नियम (1) के अनुसार किया जायेगा। शारीरिक परीक्षण में असफल रहने वाली अभ्यर्थिनियों के स्थान पर उसके वर्ग की प्रतीक्षा सूची में अगली अभ्यर्थीनी को शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारिरिक परीक्षण केवल अर्हकारी परीक्षा है और इसके अतिरिक्त कोई अंक नहीं दिये	15 शारीरिक योग्यता (3)– भर्ती हेतु आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक नापजोख नियमावली के नियम 15(1) में दिये गये विवरण के अनुसार होगी। शारीरिक नापजोख में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक 100) निम्न विवरणानुसार होगी जिसमें महिला अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे तथा किसी भी आईटम में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया

जायेगें

से पृथक कर दिया जाएगा:-

क्र0	आईटम का नाम	दूरी/समय	टंक
1	चिनिंग-अप (बीम) (पूर्णांक 50) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रिप/ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है)	5 बार छूना 6 बार छूना 7 बार छूना 8 बार छूना	25 30 40 50
2	दौड व चाल (02 किमी0) पूर्णांक 50)	15 मिनट में 14 मिनट में 12 मिनट में 10 मिनट में	25 30 40 50

नोट– (1) शारीरिक दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी।

(2) उपरोक्त लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके चयन सूची निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक महिला अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी शैक्षिक योग्यता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना
प्रकीर्ण

12 दिसम्बर, 2011 ई0

संख्या 2943/XX(4)–37/कारा0/2010–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा में नियुक्त महिलाओं की भर्ती तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड महिला जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011

भाग–एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से महानिरीक्षक, कारागार अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "भारत का संविधान" के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) "क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें उत्तराखण्ड के जेल महिला बंदीरक्षक की नियुक्ति और नियंत्रण समाहित है;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों अथवा इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व नियमों और आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में पदों के लिए नियुक्त महिला अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पद ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) "भर्ती" का वर्ष से कैलेन्डर वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो
संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है;

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन
भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

महिला बंदीरक्षक संवर्ग सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) महिला बंदीरक्षक–सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) महिला प्रधान बंदीरक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी स्थायी महिला बंदीरक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
अर्हता

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; अथवा

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारत मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त प्रान्त तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगोनिका और जंजीवार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से रूप प्रवजन किया हो, परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) वर्ग के अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–जिस अभ्यर्थी के मामले में योग्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न इन्कार किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने अथवा उसके पक्ष में दिये जाने के पश्चात् अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

8. शैक्षिक अर्हताएं–

महिला बंदीरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थिनी–

(1) विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(2) देवनागिरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान हो।

9. अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थिनी की आयु उसके कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, 18 वर्ष हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थी की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र–

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थिनी के चरित्र को ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में उसकी नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष महिला भी पात्र नहीं होगी।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

महिला अभ्यर्थिनी, जो ऐसे पुरुष से विवाह करती है, जिसका पहले से एक जीवित पति हो, नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी अभ्यर्थिनी को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

भाग–पाँच

भर्ती के लिये प्रक्रिया

13. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

14. सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 के अनुसार एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य;

(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य;

(घ) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य;

(ङ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी — सदस्य।

टिप्पणी–(एक) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा ;

(दो) चयन समिति आवेदनों की जाँच करेगी और महिला बंदीरक्षकों के पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 के अनुसार क्रियान्वित करेगी।

(2) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के विषय की होगी, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे;

(ख) प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिये 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा;

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी;

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा;

(ङ) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी;

(च) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा;

(छ) चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंक के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो चयन समिति उनके नाम पदों की सामान्य उपयुक्तता के आधार पर व्यवस्थित करेगी।

15. शारीरिक योग्यता–

(1) पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, सामान्य/पिछड़ी जाति की अभ्यर्थिनियों के लिये ऊँचाई 152 सेमी0 एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिये ऊँचाई 147 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिये। सभी के लिये वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है। दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिये अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाली अभ्यर्थिनियों के लिये दाहिनी आँख के लिये 6/6 और बाँये हाथ से कार्य करने वाली अभ्यर्थिनियों की बाईं आँख के लिये 6/6 होनी चाहिये। वर्ण अन्धता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्याएं, जो महिला बन्दीरक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हों, को अयोग्य माना जायेगा।

(2) किसी भी ऐसी अभ्यर्थिनी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदन किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–दो एवं भाग–तीन के अध्याय–तीन में अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उपयुक्तता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

(3) लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थिनियों का शारीरिक परीक्षण उक्त उपनियम (1) के अनुसार किया जायेगा। शारीरिक परीक्षण में असफल रहने वाली अभ्यर्थिनी के स्थान पर उसके वर्ग की प्रतीक्षा सूची में अगली अभ्यर्थिनी को शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक परीक्षण केवल अर्हकारी परीक्षा है और इसके कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती महिला बंदीरक्षक पद से महिला प्रधान बंदीरक्षक पद पर मौलिक रूप से 5 वर्ष की सेवा अवधि होने पर नियम 14 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठता क्रम में योग्यता सूची तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजिका तथा अन्य अभिलेख जिन्हें उचित समझेंगे, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिनियों के प्रोन्नति के मामले पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची वरिष्ठता के क्रम में तैयार करेगी और इसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(5) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक" (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होंगे।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17. नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थिनियों के नाम उस क्रम में लेकर यथास्थिति जिसमें वे नियम 14 एवं 16 के अधीन बनायी गयी सूची में हों नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रूप में उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है, यदि सूचियों की कोई अभ्यर्थिनी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थिनियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक इनमें से जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

18. परिवीक्षा–

(1) सेवा या किसी स्थाई पद पर या उसके विरुद्ध नियुक्त अभ्यर्थिनी दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगी;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक्-पृथक् मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा हो तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

19. स्थायीकरण–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदि–

(क) यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
(ग) विभागीय प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

(2) यदि उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यही घोषणा करता हुआ आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

20. ज्येष्ठता–

किसी महिला बन्दीरक्षक की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक महिला बन्दीरक्षकों की एक साथ नियुक्ति की जाती है तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम पर निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम, उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

भाग–सात

वेतन आदि

21. वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थिनी को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

22. परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन–

(1) परिवीक्षा के दौरान ऐसी महिला बन्दीरक्षक का वेतन जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

23. पक्ष समर्थन–

सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

24. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे महिला बन्दीरक्षक, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

25. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त अभ्यर्थिनियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इन मामलें में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

26. व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों की अभ्यर्थिनियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	महिला बंदीरक्षक	5200–20200 ग्रेड पे 1900	17
2.	महिला प्रधान बंदीरक्षक	5200–20200 ग्रेड पे 2000	03

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 2943/XX(4)-37/KARA/2010,** dated December 12, 2011 for general information :

NOTIFICATION

Miscelleneous

December 12, 2011

No. 2943/XX(4)-37/KARA/2010--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India" and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules :

THE UTTARAKHAND FEMALE JAIL WARDERS SERVICE RULES, 2011

PART-I

General

1. Short Title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

2. States of the Service--

The Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules is a service, which comprising Group 'C' posts.

53

3. Definitions--

(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) **"Appointing Authority"** means the Inspector General of Prisons, Uttarakhand;
(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of "the Constitution of India";
(c) **"Circle"** means one of the circles in which appointment and control of Female Jail Warders is enshrined for the purposes of appointment and control of warders;
(d) **"Constitution"** means "the Constitution of India";
(e) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;
(f) **"Governor'** means the Governor of Uttarakhand;
(g) **"Member of service"** means a female substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;
(h) **"Service"** means the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules;
(i) **"Substantive Appointment"** means an appointment not being *an adhoc* appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
(j) **"Year of Recruitment"** means of period of twelve months commencing from the first day of July of Calendar year.

PART-II
Cadre

4. Cadre of Service--

(1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be such as specified in the **Appendix 'A'.**

Provided that--

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

PART-III
Recruitment

5. Sources of Recruitment--

Recruitment to the Female Jail Warders Cadre service shall be made from the following sources--

(i) **Female Jail Warders**--by direct recruitment;

(ii) **Female Jail Head Warders**--by promotion from amongst permanent female warders cadre, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the selection committee.

6. Reservation--

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time to the recruitment.

PART-IV

Qualifications

7. Nationality--

A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be--

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention or permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualifications--

A candidate for direct recruitment to the posts of Female Jail Warders in the service must--

(i) have passed the High School Examination or an examination re-cognized by the Government of Uttarakhand as equivalent thereto;

(ii) possess working knowledge of Hindi written in Devnagri Script.

9. Preferential qualifications--

A candidate, who has--

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age--

A candidate for direct recruitment to the service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years. On July, 1 of the year in which recruitment is to be made :

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories to the State of Uttarakhand as may be notified bye the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service, female convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status--

A female candidate, who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

PART-V

Procedure for Recruitment

13. Determination of vacancies--

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment, as also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories to the State of Uttarakhand, under Rule, 6.

14. Procedure for direct recruitment--

(1) A Selection Committee shall be constituted according the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' posts (Outside the Purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2003, which comprises--

(a) the Appoinling Authority -- Chairman;

(b) an officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated -- Member;

(c) an officer belonging to Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the other Backward Classes an officer other than Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled shall be nominated -- Member;

(d) an officer, having adequate knowledge in the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made shall be nominated by the Chairman -- Member;

(e) an officer nominated by the District Magistrate of the district concerned -- Member.

NOTE--(i) If the appointing authority is Head of the Department, then in such case all the members of the selection committee shall be nominated by him. He may, on his behalf nominate an officer senior to other members as Chairman of the Selection Committee.

(ii) The selection committee shall examined all the application forms and the process of Direct Recruitment of the posts of Female Jail Warders shall be implement according the Uttarakhand Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' posts (Outside the purview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2003.

(2) (a) There shall be multiple choice objective type written examination of General Hindi, General Knowledge and General Studies of 100 marks ;

(b) One mark shall be awarded for each correct answer and 1/4 negative mark for each incorrect answer;

(c) The Answer Sheet of the written examination shall be in duplicate including the carbon copy and the candidate shall be permitted to carry back the duplicate copy with her after examination;

(d) After the written examination, the Answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website;

(e) A merit list shall be prepared according the marks obtained in the written examination;

(f) The result of the selection alongwith the marks of examination of all the candidates shall be displayed on the Uttarakhand website;

(g) Medical test and Character verification of the selected candidate shall be carried out.

(3) A selection list shall be prepared as per the merit list on the basis of marks obtained in written examination. If two and more candidate secures the same marks than the Selection Committee shall decide their name in-accordance with the requirement of the general suitability of the candidate for the post.

15. Physical Fitness--

(1) A candidate, other than hill region height for candidates belonging to General Backward Classes categories must be 152 cm. and for candidates belonging to hill region and Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be not less than 147 cm. minimum 45 kg. weight is compulsory for all. Eye vision for these candidates shall not be less than 6/6 by one eye and 6/6 by second eye, means for the candidates is working by right hand without spectacles must be not less than 6/6 and for the candidates is working by left hand without spectacles must be not less than 6/6. Candidates must be free from fully blindness/squint eyed, close proximity, knee plane leg, bow leg, varicose van, stammer, handicaped ness and other abnormality of difficulties likely to interfere with the efficient performance of the duties of female jail warder shall be deemed incompetent.

(2) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under the Financial Handbook Part II and Part III of Chapter III.

(3) The physical test shall be made according sub-rule (1) above of the selected candidates in the written examination. In place of failure candidates in physical test the next candidates a waiting list of his group shall be called for physical test. Physical test is only eligibility examination and no additional mark shall be awarded for this.

16. Procedure for Recruitment by Promotion–

(1) Recruitment by promotion on the posts of female head jail warders from female jail warder posts after the completion of 5 years service as substantively shall be made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit through the Selection Committee constituted under rule 14.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of candidates, arranged in order to seniority and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considers proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

(5) The provisions of the 'the Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004' and 'the Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) on the basis of 'Seniority' and 'Merit', subject to the rejection of unfit, (Procedure) Rules, 2009' shall be applicable.

PART-VI

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

17. Appointment–

(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rule 14 or 15 as the case may be.

(2) If more than one order of appointments is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

(3) The appointing authority may make appointments in temporary from the list referred to in sub-rule (1). If no female candidate available on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

18. Probation–

(1) A person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to be appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not held a lien on any post his services may be dispensed with.

(4) A Probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in temporary capacity in a post included in the cadre of any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

19. Confirmation--

(1) A probationer shall be confirmed under sub-rule (2) in his appointment at the end of the period of probation of the extended period of probation; if--

(a) her work and conduct are reported to be satisfactory;

(b) her integrity is certified; and

(c) successfully undergone the departmental training, if any.

(2) Where in accordance with the provision of "the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002", as amended from time to time, confirmation is not necessary under sub-rule 3 of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

20. Seniority--

The seniority of the female jail warders shall be determined in accordance with "the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002". If two or more than two female jail warders are appointed together than their seniority shall be determined as their name appears in the appointment order.

PART-VII

Pay etc.

21. Pay--

(i) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(ii) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in **Appendix 'A'**.

22. Pay during probation--

(1) The pay during probation of female jail warders, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, generally applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VII

Other Provisions

23. Canvassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required the rules applicable to the post will be taken into consideration. Any attempt on the part of a female candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

24. Regulation of other matters--

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

25. Relaxation in the conditions of service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulations, the conditions of service of female candidates appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

26. Saving--

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX 'A'

[See sub-rule (2) of rule 4 and sub-rule (2) of rule 21]

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale (in Rs.)	No. of sanctioned posts
1	2	3	4
1.	Female Jail Warder	5200-20200 Grade Pay 1900	17
2.	Female Jail Head Warder	5200-20200 Grade Pay 2000	03

By order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Principal Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 28—1—2012, भाग—1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 गृह / 98—22—3—2012—250 (कम्प्यूटर / रीजियो)।